



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया : 10.09.2025

आदेश पारित किया गया : 19.11.2025

सिविल पुनरीक्षण सं. 76/2024

1 - उमाकांत रथ, पिता- स्वर्गीय गोविंद रथ, आयु- लगभग 68 वर्ष, निवासी- भैरमदेव वार्ड, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़।

2 - रामचंद्र रथ, पिता- स्वर्गीय गोविंद रथ, आयु- लगभग 73 वर्ष, निवासी- भैरमदेव वार्ड, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़। (प्रतिवादी सं.1 व 7)

--- आवेदक

बनाम

1 - दीनबंधु रथ, पिता- स्वर्गीय गोविंद रथ, आयु- लगभग 53 वर्ष, निवासी- शिव मंदिर वार्ड, जगदलपुर, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़। (वादी)

2 - रवींद्र रथ, पिता- श्री रामचंद्र रथ, आयु- लगभग 50 वर्ष, निवासी- भैरमदेव वार्ड, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़।

3 - विश्वनाथ रथ, पिता- श्री रामचंद्र रथ, आयु- लगभग 48 वर्ष, निवासी- भैरमदेव वार्ड, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़।

4 - शशिभूषण रथ, पिता- श्री रामचंद्र रथ, आयु- लगभग 44 वर्ष, निवासी- भैरवदेव वार्ड, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़।





5 - अजयचंद्र रथ (मृत, विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से) माननीय न्यायालय के 10-09-2025 दिनांकित आदेश के अनुसार।

5.1 - श्रीमती टीना रथ, पति- स्वर्गीय अजयचंद्र रथ, पिता- गोकुलचंद्र रथ, आयु- लगभग 31 वर्ष, निवासी- नयामुंडा, जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़।

6 - सूरज रथ, पिता- स्वर्गीय गोकुलचंद्र रथ, आयु- लगभग 32 वर्ष, निवासी- भैरमदेव वार्ड, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़। (प्रतिवादी सं. 2 से 6)

..... उत्तरवादी

(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

आवेदक की ओर से

: श्री प्रफुल्ल एन. भारत, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री केशव देवांगन, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं. 1 की ओर से

: श्री वरुण शर्मा, अधिवक्ता

(माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश)

सी. ए. व्ही. आदेश

1. आवेदक ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत यह आवेदन व्यवहार वाद सं. 27A/2016 में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-I, बस्तर, जगदलपुर, (छ.ग.) द्वारा पारित 05.04.2024 दिनांकित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसमें वादी/अनावेदक सं. 1 ने स्वामित्व, अधिकार और निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत किया था। प्रतिवादियों/आवेदकों ने आदेश VII नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क किया गया कि वाद- हेतुक इसी कारण पर पहले का वाद (व्यवहार वाद सं. 2A/2013) अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था, जिससे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 तहत वर्जन आकृष्ट हुआ। विचारण



न्यायालय ने व्यवहार वाद सं. 27A/2016 में 05.04.2024 दिनांकित आदेश के माध्यम से आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि इस विवाद्यक में विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न सम्मिलित हैं। विचारण न्यायालय ने इस बात पर विचार न करके त्रुटि की कि पूर्ववर्ती वाद को पुनः वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दिए बिना ही खारिज कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान वाद पोषणीय नहीं रह गया है। इससे व्यथित होकर, आवेदकों ने यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के तथ्य, जैसा कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह है कि वादी/अनावेदक सं. 1 ने जगदलपुर, गाँव बड़े मारेंगा, गाँव पल्ली और गाँव छोटे देवड़ा में स्थित कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा करने के लिए एक व्यवहार वाद दायर किया, जो मूल रूप से स्वर्गीय गोविंद रथ के स्वामित्व में थे। यह वादी का विशिष्ट प्रकरण था कि वह, प्रतिवादियों के साथ, स्वर्गीय गोविंद रथ के विधिक उत्तराधिकारी हैं, जिनका उपरोक्त संपत्तियों को छोड़कर 07.05.1976 पर निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद, दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से उक्त संपत्तियों से होने वाले लाभ और लाभों का आनंद लेना जारी रखा। तत्पश्चात् प्रतिवादी सं. 7/आवेदक सं. 2 ने जगदलपुर में सक्षम न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद सं. 3A/2013 वाला एक अलग व्यवहार वाद दायर किया, जिसमें वर्तमान वादी और प्रतिवादी सं. 1/आवेदक सं. 1 के विरुद्ध स्वामित्व, अधिकार और स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा की गई।

3. उस वाद के लंबित रहने के दौरान, 20.12.2013 को, पक्षों के मध्य एक समझौते का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, और गाँव पल्ली और गाँव बड़े मारेंगा में स्थित वाद संपत्तियों के संबंध में मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया था। उक्त वाद का तदानुसार समझौते के संदर्भ में निराकरण किया गया था। इसके बाद, वर्तमान वादी ने प्रतिवादी सं. 1/याचिकाकर्ता सं. 1 के साथ स्वामित्व की घोषणा और सहायक भू



अभिलेख अधीक्षक, जगदलपुर द्वारा पारित 23.02.1999 दिनांकित आदेश को दरकिनार करने के लिए व्यवहार वाद सं. 2A/2013 वाला एक अन्य वाद प्रस्तुत किया। यद्यपि, उस वाद के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी सं. 2 से 7 तक के साथ मिलीभगत में कार्य करते हुए प्रतिवादी सं. 1 मामले को लगन से आगे बढ़ाने में विफल रहा। व्यवहार वाद सं.3A/2013 में किए गए पहले के समझौते को देखते हुए, यह सहमति हुई कि व्यवहार वाद सं.2A/2013 को भी वापस ले लिया जाएगा। परिणामस्वरूप, 15.01.2014 को वादी की अनुपस्थिति के कारण, व्यवहार वाद सं.2A/2013 को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था। चूंकि प्रतिवादी व्यवहार वाद सं.3A/2013 में किए गए समझौते की शर्तों का सम्मान करने में विफल रहे और आगे निर्माण को बढ़ाना और सूट संपत्तियों पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाना शुरू कर दिया, इसलिए वादी को उचित अनुतोष की मांग करते हुए वर्तमान वाद (व्यवहार वाद सं.27A/2016) दायर करने के लिए विवश किया गया।

3. 28.01.2020 को, प्रतिवादियों/आवेदकों ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 (आदेश IX नियम 9 के साथ पठित) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें यह तर्क किया गया कि चूंकि पहले वाला वाद (व्यवहार वाद सं. 2A/2013)—जिसमें वही पक्ष, विषय-वस्तु और वाद-हेतु शामिल थे—पहले ही 'अभियोजन के अभाव' के कारण खारिज किया जा चुका था, इसलिए वर्तमान वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत वर्जित है और, इसलिए, विचारणीय नहीं है। वादी ने 01.02.2020 को अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें उसने इन कथनों का खंडन किया और यह दावा किया कि व्यवहार वाद संख्या 2A/2013 को 'अभियोजन के अभाव' के कारण खारिज नहीं किया गया था। आगे दलील दी कि इसी तरह का आवेदन पहले प्रतिवादियों द्वारा 17.08.2016 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे विचारण न्यायालय ने 12.10.2017 को स्वीकार किया था। उस आदेश के विरुद्ध वादी ने एक अपील प्रस्तुत की



और विद्वान अपीली न्यायालय ने अपने 30.10.2019 दिनांकित आदेश द्वारा 12.10.2017 दिनांकित आदेश को अपास्त दिया और मामले को गुण-दोष पर निर्णय के लिए भेज दिया। उक्त निर्देशों के अनुसरण में, विद्वान विचारण न्यायालय ने 22.06.2021 दिनांकित आदेश के माध्यम से, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत प्रस्तुत आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि अपीली न्यायालय द्वारा पारित रिमांड आदेश को देखते हुए, वाद को गुण-दोष के आधार पर निर्णय देने की आवश्यकता थी।

4. 22.06.2021 दिनांकित आदेश से व्यथित होकर, आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण सं. 24/2022 प्रस्तुत की। 28.08.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया, जिसमें पक्षों को व्यवहार वाद सं. 2A/2013 में विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, और आगे विचारण न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनने के बाद उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में, दोनों पक्ष व्यवहार वाद सं. 2A/2013 में विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। 30.10.2023 को, वादी ने एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि उसने पहले 20.12.2013 को उक्त वाद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी और 15.01.2014 को भी अनुपस्थित रहा था, जिससे वाद को खारिज कर दिया गया था। इस निवेदन को स्वीकार करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने कहा कि वादी वस्तुतः 15.01.2014 को उपस्थित होने में विफल रहा था, और तदनुसार, वाद अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, व्यवहार वाद सं.27A/2016 में, प्रतिवादियों/आवेदकों ने 26.02.2024 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 सहपठित आदेश VII नियम 11 के तहत एक नया आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें तर्क किया गया कि चूंकि समान पक्षों के मध्य व्यवहार वाद सं. 2A/2013 को 30.10.2023 पर अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था, वर्तमान वाद वर्जित था और पोषणीय नहीं था। वादी ने उक्त आवेदन का



विरोध करते हुए कहा कि पहले की बर्खास्तगी उसके अपने आवेदन पर हुई थी, और आगे कहा कि वही विवाद्यक पहले ही तय किया जा चुका था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने 05.04.2024 दिनांकित आक्षेपित आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों के आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि पहले व्यवहार वाद सं. 2A/2013 निर्णीत हो चुका था, वर्तमान वाद साक्ष्य के स्तर पर था और उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही जारी रखी जा रही थी। 05.04.2024 दिनांकित उक्त आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान पुनरीक्षण आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह सलाह दी जा रही है कि आक्षेपित आदेश अवैध, मनमाना और विधि के उपबंधों के विपरीत है, क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि एक बार पहले के वाद को नए वाद की स्थापना के लिए किसी भी स्वतंत्रता के बिना अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था, वर्तमान कार्यवाही को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित थे।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि व्यवहार वाद सं.27A/2016 में जगदलपुर में द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-I, बस्तर द्वारा पारित 05.04.2024 दिनांकित आक्षेपित आदेश गंभीर विधिक दुर्बलताओं और अभिलेख संबंधी स्पष्ट भौतिक अनियमितताओं से ग्रस्त है। न्यायालय अपने सही विधिक परिप्रेक्ष्य में मामले का मूल्यांकन करने में विफल रहा है और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 9 के साथ पठित आदेश VII नियम 11 के तहत प्रस्तुत आवेदकों के आवेदन को खारिज करते हुए तथ्यों और विधि दोनों पर खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है। यह निवेदन किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 (घ) में आदेश दिया गया है कि जहां वादपत्र उसमें किए गए कथनों से किसी भी विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होता है, वह प्रारंभ में ही खारिज किए जाने योग्य है। उपबंध का अनिवार्य स्वरूप है और जब वैधानिक वर्जन का अस्तित्व अभिवचनों से स्पष्ट है, न्यायालय के पास



वादपत्र को अस्वीकार करने के अलावा कोई विवेकाधिकार नहीं है। यद्यपि, विद्वान विचारण न्यायालय ने इस सुस्थापित सिद्धांत की पूर्णतः अनदेखी की है और अभिलेख से वर्जन स्पष्ट होने के बावजूद, बाद के स्तर में विचारार्थ विवाद्यक को गलती से स्थगित कर दिया है। इससे पहले का वाद, व्यवहार वाद सं.2A/2013, एक उन्हीं पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एक ही विषय-वस्तु और वाद हेतुक सम्मिलित था। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उक्त वाद को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था, 30.10.2023 दिनांकित आदेश के अनुसार, जो 15.01.2014 से प्रभावी है। चूँकि पिछला वाद आगे न बढ़ाए जाने के कारण खारिज कर दिया गया था—और वादी को उसी वाद-हेतुक पर कोई नया वाद दायर करने की अनुमति भी नहीं दी गई थी अतः वर्तमान कार्यवाही, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 की स्पष्ट भाषा के अनुसार, स्पष्ट रूप से वर्जित है। विद्वान विचारण न्यायालय, आवेदन को खारिज करते हुए, इस मौलिक विधिक वर्जन को उचित महत्व देने में विफल रहा। आगे यह तर्क किया गया है कि वर्तमान वाद, व्यवहार वाद सं. 27A/2016, उन्हीं तथ्यों, उन्हीं वाद हेतुक और उन्हीं संपत्तियों के संबंध में स्थापित किया गया है जो पहले के वाद, व्यवहार वाद सं.2A/2013 की विषय- वस्तु थीं। दावा किए गए अनुतोष के प्रारूप या शब्दों में केवल परिवर्तन वाद हेतुक की वास्तविक प्रकृति को नहीं बदल सकता है। यह सिद्धांत कि किसी भी पक्ष को उसी दावे को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसे पहले ही छोड़ दिया गया है या गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया है, फिर से दायर करने की स्वतंत्रता के बिना, अच्छी सुस्थापित है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय को यह मानना चाहिए था कि दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत स्पष्ट वैधानिक वर्जन को देखते हुए, यह वाद विचारणीय नहीं था। आवेदकों के अधिवक्ता का निवेदन है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन पर उसके सही दायरे और महत्व के अनुसार विचार न करके एक गंभीर



अनियमितता भी की है। इस उपबंध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तुच्छ, परेशान करने वाले या वर्जित विचारण अनावश्यक रूप से सुनवाई के लिए आगे न बढ़ें, जिससे न्यायिक समय की बचत हो और विरोधी पक्ष को उत्पीड़न से बचाया जा सके। विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि इस विवाद्यक में "विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न" सम्मिलित है, विधिक स्थिति का गलत अर्थ निकाला है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत वर्जन अभिलेख से ही स्पष्ट है और इसके लिए किसी साक्ष्य निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 4 और आदेश IX नियम 8 मध्य स्पष्ट विभेद को समझने में विफल रहा है। जबकि आदेश IX नियम 4 वादी को एक नया वाद लाने की अनुमति देता है जहां पहले वाले को आदेश IX नियम 2 या नियम 3 (समन्स की तामीली न होने या तामीली से पूर्व उपस्थिति की चूक के लिए) के तहत खारिज कर दिया गया था, आदेश IX नियम 9 के तहत उपबंध स्पष्ट रूप से एक नए वाद की स्थापना को प्रतिबंधित करता है जहां पहले वाला वाद नियम 8 के तहत खारिज कर दिया गया था, अर्थात् प्रतिवादी के उपस्थित होने के बाद परन्तु वादी के चूक के कारण। वर्तमान प्रकरण में, चूंकि पहले का वाद (व्यवहार वाद सं. 2A/2013) प्रतिवादियों के उपस्थित होने के बाद खारिज कर दिया गया था, इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत वर्जन पूरी तरह से लागू होता है। इस विधिक विभेद को समझने में विद्वान विचारण न्यायालय की विफलता ने न्याय की स्पष्ट विफलता को जन्म दिया है। यह भी तर्क किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भौतिक अवैधता और प्रक्रियात्मक अनुचितता के साथ अधिकारिता का प्रयोग किया है। विचारण न्यायालय ने न केवल वैधानिक उपबंधों की गलत व्याख्या की है, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के बाध्यकारी उदाहरणों को भी नजरअंदाज



अभिनिर्धारित किया है, जिन्होंने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई वाद विधि द्वारा वर्जित है, तो उसे आदेश VII नियम 11 (घ) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। स्पष्ट वर्जन के बावजूद वाद को आगे बढ़ने की अनुमति देकर, न्यायालय ने आवेदकों को अनुचित कठिनाई और पूर्वाग्रह का कारण बना दिया है, जिससे उन्हें विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत अनावश्यक वादबाजी से गुजरना पड़ा है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश को बने रहने की अनुमति देने से न्याय का गंभीर गर्भपात होगा क्योंकि यह वादी को स्पष्ट वैधानिक वर्जन को दरकिनार करने और एक ऐसे विवाद्यक को फिर से वाद करने की अनुमति देगा जो पहले के वाद को खारिज करने पर पहले ही अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है। इस तरह का पाठ्यक्रम प्रक्रियात्मक विधि के उद्देश्य को विफल कर देगा, जो कार्यवाही की बहुलता को रोकना और वादबाजी की अंतिमता सुनिश्चित करना है। पूर्वगामी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क किया जाता है कि 05.04.2024 दिनांकित आक्षेपित आदेश अवैध, मनमाना और विधि में अस्थिर है। यह इस न्यायालय द्वारा खारिज और अपास्त किए जाने योग्य है, और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के साथ पठित आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन न्याय के हित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

7. उत्तरवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदकों/प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत वर्तमान पुनरीक्षण याचिका गलत धारणा वाली है, सारहीन है, और संक्षेप में खारिज की जा सकती है। व्यवहार वाद सं.27A/2016 में विद्वान द्वितीय सिविल न्यायाधीश, वर्ग-I, जगदलपुर द्वारा पारित 05.04.2024 दिनांकित आक्षेपित आदेश तथ्यों और विधि की उचित सराहना के बाद पारित किया गया है, और यह इस न्यायालय के पुनरीक्षण की अधिकारिता के तहत हस्तक्षेप को आमंत्रित करने वाली किसी भी विकृति या अधिकारिता संबंधी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है। यह तर्क किया गया है कि प्रतिवादियों ने



सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के साथ पठित आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें तर्क किया गया था कि वर्तमान वाद को कथित रूप से उसी वाद हेतुक के आधार पर दायर किए गए पहले के वाद, व्यवहार वाद सं.2A/2013 को खारिज किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए विधि द्वारा वर्जित किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि व्यवहार वाद सं. 2A/2013 पहले ही खारिज हो चुका था, वर्तमान विचारण (13.03.2016 पर दायर) पर इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वाद चलाया जा रहा था और प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों में तथ्य और विधि के मिश्रित प्रश्न सम्मिलित थे जिन्हें केवल विचारण पर ही निर्धारित किया जा सकता था। यह निष्कर्ष विधि में पूरी तरह से उचित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में, इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रतिवादियों के प्रकरण का पूरा आधार एक गलत धारणा पर आधारित है कि दोनों वाद, व्यवहार वाद सं. 2A/2013 और व्यवहार वाद सं.27A/2016, एक ही वाद हेतुक से उद्भूत होते हैं और एक ही संपत्ति से संबंधित होते हैं। यद्यपि, आवेदक इस न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद सं.27A/2016 के वादपत्र की एक प्रति प्रस्तुत कर इस महत्वपूर्ण दावे को साबित करने में विफल रहे हैं। ऐसी सामग्री के अभाव में, दोनों वादों के मध्य कोई वैध तुलना नहीं की जा सकती है, और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत वैधानिक वर्जन का अभिवाक् अनिवार्य रूप से विफल होना चाहिए। उत्तरवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दोनों वादों में दावा किए गए अनुतोष अलग-अलग हैं। व्यवहार वाद सं.2A/2013 में, वादी ने अपने भाइयों के साथ संयुक्त रूप से शीट सं.90, प्लॉट सं.36, जगदलपुर में स्थित आवासीय संपत्ति के दो-तिहाई हिस्से के संबंध में सह-स्वामित्व की घोषणा की मांग की, और उक्त वाद मुख्य रूप से सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख, जगदलपुर द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया गया था।



इस प्रकार, इसमें वाद- हेतुक उत्परिवर्तन कार्यवाही में कथित अवैधता और उक्त भूमि पर कुछ प्रतिवादियों द्वारा निर्माण का प्रयास था। इसके विपरीत, वर्तमान व्यवहार वाद सं.27A/2016 पूरी तरह से अलग तथ्यात्मक आधार पर और एक ही पैतृक संपत्ति के अलग हिस्से के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान वाद में वादी उसी संपत्ति के एक तिहाई हिस्से पर स्वामित्व की घोषणा की मांग करता है, जो स्वर्गीय गोविंद रथ द्वारा निष्पादित एक पंजीकृत वसीयत के तहत वादी की माता श्रीमती गौरीबाई को हस्तांतरित की गई थी। अतः वाद- हेतुक केवल तभी उद्भूत हुआ जब प्रतिवादी, वादी के भाइयों ने वसीयत के माध्यम से प्राप्त इस एक तिहाई हिस्से पर वादी के सह-स्वामित्व अधिकारों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दोनों सूट के पक्ष भी समान नहीं हैं: जबकि व्यवहार वाद में 21 प्रतिवादी सम्मिलित थे, वर्तमान व्यवहार वाद में केवल सात प्रतिवादी सम्मिलित हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों पक्षों की संरचना और तथ्यात्मक आधार भौतिक रूप से भिन्न हैं। इसलिए, जैसा कि आवेदकों द्वारा दावा किया गया है, वाद हेतुक और पक्षों की पहचान की कथित समानता पूरी तरह से गलत है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत वर्जन केवल तभी लागू होता है जब उन्हीं पक्षकारों के मध्य वाद- हेतुक उसी कारण और उसी विषय- वस्तु के संबंध में बाद का वाद प्रस्तुत कर जाता है। चूंकि वर्तमान प्रकरण में इन आवश्यक तत्वों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि आवेदकों द्वारा उठाए गए प्रश्न का निर्णय विशुद्ध रूप से विधि के प्रश्न के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है और आवश्यक रूप से विचारण में एक विस्तृत तथ्यात्मक परीक्षण की आवश्यकता होगी।

8. उत्तरवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदकों ने इस न्यायालय से भौतिक तथ्यों को दबा दिया है। यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि प्राङ्गन्याय (रेस ज्यूडिकाटा) और पोषणीयता का विवाद्यक प्रतिवादियों द्वारा इसी कार्यवाही



के पिछले चरण में ही उठाया जा चुका था। उस अवसर पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश VII नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उसी आधार पर 12.10.2017 दिनांकित आदेश के तहत वाद को खारिज कर दिया था। वादी ने सिविल अपील सं.10/2017 प्रस्तुत की, जिसे जगदलपुर के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा 30.10.2019 दिनांकित निर्णय के माध्यम से स्वीकार किया गया था, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया था और निर्देश दिया गया था कि विचारण के नियत समय में न्यायिक प्रक्रिया के प्रश्न का निर्धारण करने हेतु एक विवाद्यक तैयार किया जाए। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के साथ पठित आदेश VII नियम 11 के तहत वर्तमान आवेदन, अतः पहले से ही सुस्थापित विवाद्यक पर फिर से वाद करने के बराबर है और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। प्रतिवादी वर्तमान पुनरीक्षण दाखिल करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा करने में आसानी से विफल रहे हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि आवेदकों द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ तथ्य और विधि के मिश्रित प्रश्न से संबंधित हैं, जिन्हें साक्ष्य के परीक्षण किए बिना निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। विधि सुस्थापित है कि आदेश VII नियम 11 (घ) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक वादपत्र को तब तक खारिज नहीं किया जा सकता है जब तक कि वादपत्र से ही विधि द्वारा वर्जन स्पष्ट न हो। जहां, जैसा कि वर्तमान प्रकरण में है, प्रश्न में तथ्यों की परीक्षण सम्मिलित है, जैसे कि संपत्तियों की तुलना, कार्रवाई के कारण और पक्षों की पहचान, वादपत्र को संक्षेप में खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अभियोजन के अभाव के लिए पहले के वाद को खारिज करना गुण-दोष पर निर्णय नहीं है और अतः यह न्यायिक निर्णय के रूप में काम नहीं करता है और न ही यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत वर्जन को आकर्षित करता है जब तक कि कारण और पक्षों की पहचान की सभी पूर्व शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। इस



संबंध में, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन छ. 13916 में प्रतिवेदित धर्मद्र जैन बनाम मधु नाहटा (जैन) के प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है, जिसमें शिवदान सिंह बनाम दरियाव कुंवर (ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1332) के प्रकरण में संविधान पीठ के निर्णय का अवलंब लेते हुए इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि उपस्थिति की चूक या अभियोजन की कमी के लिए एक पूर्व वाद को खारिज करना गुण-दोष पर अंतिम निर्णय के बराबर नहीं है अतः बाद की कार्यवाही में न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इसी तरह, (1996) 1 एस. सी. सी. 735 में प्रतिवेदित महाराष्ट्र राज्य बनाम राष्ट्रीय निर्माण कंपनी के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तथा 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन छ. 153 में प्रतिवेदित राजेश बनाम गोपराम के प्रकरण में इस न्यायालय ने दोहराया है कि तकनीकी आधार पर एक वाद को खारिज करने से वाद- हेतुक एक विशिष्ट या निरंतर कारण के आधार पर एक नए वाद की स्थापना को रोका नहीं जा सकता है। इसके अलावा, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 356 में प्रतिवेदित प्रेम किशोर बनाम ब्रह्म प्रकाश के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल कार्यवाही को बंद करने या बंद करने का आदेश आदेश IX नियम 8 के तहत चूक के लिए बर्खास्तगी या आदेश XVII नियम 3 के तहत गुण-दोष पर निर्णय के बराबर नहीं है, अतः एक नई कार्रवाई के लिए विधिक वर्जन उत्पन्न नहीं करता है। इसके अलावा, (2018) 11 एस. सी. सी. 449 में प्रतिवेदित धर्मपाल बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि जहां बाद के वाद में पक्षकार पहले वाले के समान नहीं हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत वर्जन लागू नहीं हो सकता है। यही सिद्धांत तत्काल प्रकरण में सीधे लागू होता है, क्योंकि दोनों वादों में पक्षकार, कार्रवाई के कारण और अनुतोष की प्रकृति अलग-अलग होती है। उपरोक्त विधिक स्थिति को देखते हुए, आवेदकों का यह तर्क कि वर्तमान वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के



आदेश IX नियम 9 के तहत वर्जित है, पूरी तरह से असमर्थनीय है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश VII नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन को अस्वीकार करने में अधिकारिता की कोई त्रुटि नहीं की है। बल्कि, विचारण न्यायालय ने मामले को विचारण के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए अपने विवेकाधिकार का सही उपयोग किया है ताकि पक्षों के मध्य वास्तविक विवाद को साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिया जा सके। अतः आक्षेपित आदेश न्याय के उद्देश्यों को कम करता है और इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। इसलिए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका मुख्य वाद की कार्यवाही में विलंब करने और वादी को एक वैध वसीयतनामा के आधार पर पैतृक संपत्ति पर उसके कानूनी अधिकारों से वंचित करने का एक तुच्छ प्रयास है। पुनरीक्षण में तथ्यों या विधि पर किसी भी योग्यता का अभाव है, और यदि इस पर विचार किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप वादबाजी को अनावश्यक रूप से बढ़ाया जा सकता है। तदनुसार, उत्तरवादी प्रार्थना करता है कि यह न्यायालय 05.04.2024 दिनांकित आक्षेपित आदेश को यथावत् रखने, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को अनुकरणीय लागतों के साथ खारिज करने और व्यवहार वाद को न्याय, समानता और निष्पक्षता के हित में अपने तार्किक निष्कर्ष पर आगे बढ़ने की अनुमति दे।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और पुनरीक्षण याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी परिशीलन किया है।

10. अभिवचनों से जो सुसंगत तथ्य सामने आते हैं, वे यह हैं कि प्रतिवादी/वादी ने जगदलपुर, गांव बड़े मारेंगा, गांव पल्ली और गांव छोटे देवड़ा में स्थित कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व, अधिकार और स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा करने के लिए व्यवहार वाद दायर किया। यह दलील दी गई थी कि संपत्तियां मूल रूप से स्वर्गीय गोविंद रथ की थीं, जिनका वर्तमान वादी और प्रतिवादियों सहित अपने विधिक उत्तराधिकारियों



को पीछे छोड़ते हुए 07.05.1976 को निधन हो गया था। यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी सं. 7 ने पहले वर्तमान वादी और प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध इसी तरह की अनुतोष की मांग करते हुए व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था, जिसे 20.12.2013 को समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निराकृत किया गया था। इसके बाद, वर्तमान वादी और प्रतिवादी सं. 1 ने संयुक्त रूप से व एक अन्य वाद, व्यवहार वाद सं.2A/2013 प्रस्तुत किया, जिसमें स्वामित्व की घोषणा और सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख, जगदलपुर द्वारा पारित 23.02.1999 दिनांकित उत्परिवर्तन आदेश को रद्द करने की मांग की गई। यद्यपि, 15.01.2014 पर वादी की गैर-उपस्थिति के कारण, उक्त वाद अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया। आवेदकों के अनुसार, पहले के वाद को खारिज करना, नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के बिना, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत वर्तमान वाद को प्रतिबंधित करता है। इसके विपरीत, वादी यह दावा करता है कि दोनों वादों में वाद- हेतुक स्पष्ट है और पहले की बर्खास्तगी वर्तमान कार्यवाही की स्थापना को बाधित नहीं करती है।

11. व्यवहार वाद सं.27A/2016 के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादियों ने आदेश VII नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लगातार आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें तर्क किया गया कि पहले के वाद को खारिज करने के मद्देनजर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत वादपत्र को वर्जित कर दिया गया था। इस तरह के पहले आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा 12.10.2017 पर अनुमति दी गई थी; यद्यपि, वादी ने सिविल अपील सं.10/2017 को प्राथमिकता दी, जिसे तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा 30.10.2019 दिनांकित निर्णय के माध्यम से अनुमति दी गई थी, आदेश को दरकिनार करते हुए और निर्देश देते हुए कि रखरखाव के विवाद्यक को विचारण में तय किया जाए। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने 22.06.2021 पर आदेश VII नियम 11 के तहत प्रतिवादियों के दूसरे आवेदन को फिर से खारिज कर दिया, यह



मानते हुए कि मामले में साक्ष्य पर निर्णय की आवश्यकता है। इसके विरुद्ध प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण याचिका सं.24/2022 प्रस्तुत की, जिसे 28.08.2023 पर निराकृत किया गया था, जिसमें पक्षों को पहले के व्यवहार वाद सं.2A/2013 में विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, और आगे निर्देश दिया गया था कि विचारण न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद उचित आदेश पारित करे। इस आदेश के साथ सशस्त्र, प्रतिवादियों ने वर्तमान वाद में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के साथ पठित आदेश VII नियम 11 के तहत एक नया आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने 05.04.2024 को खारिज कर दिया।

12. दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने पर, विचारार्थ प्रश्न उठते हैं कि क्या बाद का वाद (व्यवहार वाद सं.27A/2016) पूर्ववर्ती वाद (व्यवहार वाद सं.2A/2013) के खारिज किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत वर्जित है और क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत प्रतिवादियों के आवेदन को अस्वीकार करने में कोई अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि या भौतिक अनियमितता की है?

13. प्रारम्भ में, यह न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 9 के विधिक दायरे को निरूपित करना उचित समझता है, जो एक नए वाद की स्थापना के विरुद्ध एक वैधानिक बार के रूप में काम करता है, जहां उन्हीं पक्षों के मध्य एक पूर्व वाद को आदेश IX के नियम 8 के तहत खारिज कर दिया गया है, अर्थात् जब वादी प्रतिवादी के उपस्थित होने के बाद सुनवाई के लिए निर्धारित दिनांक पर उपस्थित होने में विफल रहता है। इस बार को संचालित करने के लिए, तीन आवश्यक शर्तें सह-अस्तित्व में होनी चाहिए:



<p>(i) बाद के वाद के पक्षकार पहले वाले के समान हो, या कम से कम एक ही शीर्षक के तहत दावा न करें;</p> <p>(ii) पहले का वाद प्रतिवादी की उपस्थिति के बाद डिफॉल्ट के लिए अर्थात्, आदेश IX के नियम 8 के अधीन खारिज होना चाहिए, न कि नियम 2 या 3 के तहत; और</p> <p>(iii) बाद का वाद एक ही (उसी) वाद- हेतुक पर आधारित होना चाहिए और संबंध के एक ही (उसी) विषय-वस्तु से संबंधित होना चाहिए।</p>	
--	--

14. जब तक इन मूलभूत शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक नियम 9 के तहत निषेध लागू नहीं होता है। वर्तमान प्रकरण में, अभिलेख से पता चलता है कि पूर्व वाद, व्यवहार वाद सं. 2 ए/2013, 15.01.2014 पर वादी के उपस्थित न होने के कारण अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था। बर्खास्तगी का आदेश स्वयं यह अभिलेख नहीं करता है कि प्रतिवादी मौजूद थे या बर्खास्तगी नियम 8 के तहत प्रतिस्पर्धा के बाद हुई थी। इसके अलावा, पक्षों की संरचना, दावा की गई अनुतोष की प्रकृति और वर्तमान व्यवहार वाद सं. 27 ए/2016 वाद- हेतुक का अंतर्निहित कारण भौतिक रूप से भिन्न प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत विचार किए गए वर्जन को केवल इस आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है कि दोनों वादों में एक सामान्य पूर्वज से उद्भूत कुछ अतिव्यापी गुण सम्मिलित हैं।

15. 2025 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 912 में प्रतिवेदित अमरुद्दीन अंसारी (मृत), विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम अफजल अली व एक अन्य के मामले में



माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की गई है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 2 या 3 के तहत चूक में एक वाद या आवेदन को खारिज करने का आदेश न तो एक निर्णय है और न ही एक डिक्री है; ऐसा आदेश गुण-दोष के आधार पर पक्षों के अधिकारों को समाप्त नहीं करता है अतः बाद की कार्यवाही में न्यायिक प्रक्रिया के रूप में काम नहीं कर सकता है। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि नियम 9 के तहत वर्जन नियम 8 के तहत बर्खास्तगी तक ही सीमित है और इसे गैर-अभियोजन या प्रक्रियात्मक चूक के लिए बर्खास्तगी के अनुरूप नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह आधिकारिक घोषणा इस विधिक स्थिति को तय करती है कि चूक के लिए प्रत्येक बर्खास्तगी नियम 9 के वर्जन को आकर्षित नहीं करती है। सुसंगत परिच्छेद नीचे

उद्धृत किए गए हैं:

"17. उपरोक्त दो उपबंधों अर्थात् सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 4 और नियम 9 के वाचन से ही यह स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 4 के तहत, विधायिका ने स्पष्ट अवधि में वादी को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत वाद खारिज होने की स्थिति में वाद- हेतुक उसी कारण पर नया वाद दायर करने से नहीं रोका है, जबकि आदेश IX का नियम 9 वादी को ऐसे प्रकरण में नया वाद दायर करने से रोकता है जहां वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 8 के तहत खारिज किया जाता है। ऐसे खारिज किए जाने के विरुद्ध एकमात्र उपाय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 9 के तहत आवेदन प्रस्तुत करना है।

XXX

XXX

XXX



"डिक्री" शब्द को सीधे तौर पर पढ़ने से यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि डिक्री बनने के लिए, किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जो वाद में विवादित सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों को निर्णायक रूप से तय करती हो; लेकिन डिक्री में ऐसा कोई भी निर्णय शामिल नहीं होगा, जिसके खिलाफ़ डिफ़ॉल्ट के कारण खारिज किए गए आदेश के रूप में अपील की जा सकती हो। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से ज़ाहिर है कि डिफ़ॉल्ट के कारण किसी वाद या आवेदन को खारिज करना—विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत—वाद में दावा किए गए किसी अधिकार या पेश किए गए बचाव पर किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति नहीं है। डिफ़ॉल्ट के कारण किसी वाद या आवेदन को खारिज करने का आदेश भी, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, अपील योग्य आदेश नहीं है। यदि हम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII को पढ़ें, तो हम पाएँगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX, नियम 9 या आदेश IX, नियम 13 के तहत पारित आदेशों को अपील योग्य बनाया गया है, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX, नियम 4 के तहत पारित आदेश अपील योग्य नहीं है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत डिफ़ॉल्ट के कारण किसी वाद या आवेदन को खारिज करने का आदेश न तो कोई निर्णय है, न ही कोई डिक्री, और न ही यह कोई अपील योग्य आदेश है। यदि ऐसा है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के





तहत किसी वाद को खारिज करने का ऐसा आदेश "निर्णय" या "डिक्री" शब्द की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है; क्योंकि हमारी सुविचारित राय में, इसमें कोई निर्णय शामिल नहीं है। इसलिए, यदि कोई नया मुकदमा दायर किया जाता है, तो खारिज करने का ऐसा आदेश 'रेस ज्यूडिकाटा' के रूप में लागू नहीं हो सकता और न ही होगा।

16. (2018) 11 एस. सी. सी. 449 में प्रतिवेदित धर्मपाल बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड के प्रकरण में इसी सिद्धांत को पहले प्रतिध्वनित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जहां दोनों वादों में पक्ष या विषय समान नहीं हैं, आदेश IX नियम 9 के तहत वर्जन का कोई अनुप्रयोग नहीं है। सुसंगत परिच्छेद नीचे

उद्धृत किया गया है:"

26. ऊपर जो अभिनिर्धारित किया गया है, उसके अलावा, हमारे मत में, अन्यथा भी, वर्तमान वाद पहले के वाद को खारिज करने के बावजूद प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि पहले का वाद केवल एक प्रतिवादी अर्थात् प्रतिवादी सं. 1 के पिता के विरुद्ध वाद हेतुक पर प्रस्तुत किया गया था जो उस समय एक प्रतिवादी के विरुद्ध उपार्जित हुआ था, जबकि वर्तमान वाद तीन प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था, जिनमें से दो प्रतिवादी पहले के वाद में पक्षकार नहीं थे। इसलिए दोनों वादों में पक्षकार और यहां तक कि प्रतिवादी के विरुद्ध वाद- हेतुक के भाग रण भाग भी अलग-अलग था। इन सभी कारणों से, जहां तक विद्वान अधिवक्ता के पहले तर्क का संबंध है, इसमें कोई सार नहीं है और इसलिए इसे अस्वीकार



किया जाता है।”

17. इसी तरह, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1332 में प्रतिवेदित शिवदान सिंह बनाम दरियाव कुंवर के मामले में संविधान पीठ ने कहा कि केवल एक निर्णय जो अंततः पक्षों के अधिकारों पर निर्णय देता है, न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है या बाद में वादबाजी के लिए एक विधिक अवरोध उत्पन्न कर सकता है। सुसंगत परिच्छेद नीचे उद्धृत किया गया है:

“14. जहां, उदाहरण के लिए, पूर्व वाद को विचारण न्यायालय द्वारा अधिकारिता के अभाव में, या वादी की उपस्थिति में चूक के लिए, या पक्षकारों के गैर-याचिकाकर्ता या पक्षकारों के असंतुष्ट या बहुभिन्नता के आधार पर, या इस आधार पर कि वाद बुरी तरह से तैयार किया गया था, या किसी तकनीकी गलती के आधार पर, या वादी की भाग प्रोबेट (प्रमाण) या प्रशासन के पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफलता के लिए खारिज कर दिया गया था, जब वादी को आ ज्ञप्ति का हकदार बनाने के लिए विधि द्वारा इसकी आवश्यकता होती है, या लागत के लिए प्रतिभूति प्रदान करने में विफलता के लिए, या अनुचित मूल्यांकन के आधार पर। किसी वादपत्र पर अतिरिक्त विचारण न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में विफलता के लिए जिसका कम मूल्यांकन किया गया था या वाद हेतुक के अभाव में या इस आधार पर कि यह समय से पहले है और बर्खास्तगी की पुष्टि अपील में की जाती है (यदि कोई हो), निर्णय गुण-दोष पर नहीं होने के कारण पश्चतवर्ती वाद में ‘रेस जुडिकाटा’ नहीं होगा.....”





18. इन सिद्धांतों को प्रकरण में लागू करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि व्यवहार वाद सं. 2 ए/2013 की पूर्व बर्खास्तगी अधिकारों के अंतिम निर्णय के बराबर नहीं थी, न ही पक्षों की पहचान और वाद हेतुक की सभी पूर्व शर्तों को पूरा किया गया था। परिणामस्वरूप आवेदकों द्वारा अनुरोध किए गए वैधानिक वर्जन को कायम नहीं रखा जा सकता है। यह विधि का एक तय प्रस्ताव है कि उपस्थिति की चूक या अभियोजन की कमी के लिए किसी वाद को खारिज करना पक्षों के मध्य विवाद के गुण-दोष पर निर्णय का गठन नहीं करता है। ऐसा आदेश केवल प्रक्रियात्मक है और वादी के मूल अधिकारों को तब तक समाप्त नहीं कर सकता जब तक कि विवाद्यक के न्यायिक निर्धारण के साथ न हो।

19. अमरुद्दीन अंसारी (पूर्वोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे आदेश की कानूनी प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझाया है; न्यायालय के अनुसार, वादी की अनुपस्थिति के कारण वाद को खारिज करने का आदेश, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के अर्थ के भीतर 'डिक्री' नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें पक्षों के अधिकारों का कोई न्यायनिर्णयन नहीं होता है। परिणामस्वरूप इस तरह की बर्खास्तगी प्राङ्गन्याय (रेस जुडिकाटा) आधार के रूप में काम नहीं कर सकती है, और न ही यह वादी को उसी या वाद- हेतुक निरंतर कारण पर आधारित बाद की कार्यवाही में निवारण की मांग करने से रोक सकती है। इस व्याख्या को (1996) 1 में प्रतिवेदि **महाराष्ट्र राज्य बनाम राष्ट्रीय निर्माण कंपनी** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराया गया था, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि तकनीकी बर्खास्तगी, चाहे अभियोजन के अभाव या प्रक्रियात्मक चूक के लिए, को गुण-दोष पर निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है अतः किसी पक्ष को एक नया वाद शुरू करने से नहीं रोकता है, बशर्ते वाद- हेतुक बना रहे। सुसंगत परिच्छेद नीचे उद्धृत किया गया है:



"17. सिद्रमप्पा बनाम राजशेट्टी [(1970) 1 एस. सी. सी. 186: ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1089] (एस.सी.सी., पृ. 189: ए. आई. आर. पृ. 060-61) के प्रकरण में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहाँ वह 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (वाद का आधार), जिसके आधार पर पिछला वाद दायर किया गया था, बाद वाले वाद का आधार नहीं बनता है, और जहाँ पिछले वाद में वादी उस राहत का दावा नहीं कर सकता था जिसकी माँग उसने बाद वाले वाद में की है, वहाँ ऐसा वाद 'आदेश 2 नियम 2' द्वारा वर्जित नहीं होता है। इस निर्णय को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि, पहले वाद में, अपीलकर्ता केवल रु.14,12,836/- के संबंध में ही राहत की माँग कर सकते थे, जो कि 'परफॉर्मंस गारंटी' में निर्धारित अधिकतम राशि थी। वे रु.1,13,27,298.16/- की अनुतोष का दावा नहीं कर सकते थे जो उन्होंने ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य से संबंधित संविदा के आधार पर दूसरे वाद में किया था।"

20. इसी तरह, **2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 356** में प्रतिवेदित **प्रेम किशोर बनाम ब्रह्म प्रकाश** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी मामले को "हटाने" या "बंद करने" का आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (2) के तहत एक डिक्री का रूप नहीं लेता है अतः बाद की कार्यवाहियों को वर्जित नहीं कर सकता है। निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:



“55. विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या बेदखली याचिका को चूक के लिए खारिज कर दिया गया था जो बर्खास्तगी निश्चित रूप से एक नए वाद को रोक देगी यदि वाद- हेतुक उसी कारण पर स्थापित किया जाता है [सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 के अनुसार]। जिन शब्दों को हमने ऊपर उद्धृत किया है, उनका निश्चित रूप से मतलब योग्यता या चूक पर बर्खास्तगी नहीं है। हमारे सामने यह तर्क किया गया था कि आदेश को केवल इस अर्थ में लिया जाना चाहिए कि आदेश 17 के तहत आदेश संभवतः क्या हो सकता है और कुछ और नहीं। हम इस तरह के तर्क से प्रभावित नहीं हैं। आदेश का उद्देश्य चूक के लिए या गुण-दोष के आधार पर बर्खास्तगी नहीं था और इसका अर्थ इसके अलावा नहीं लिया जा सकता है कि यह क्या था। यह सामान्य वाक्यांश शास्त्र में है; विधिक नहीं। वाक्यांश शास्त्र और इसे इसके सामान्य अर्थ से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसका सामान्य अर्थ है कि कार्यवाही बंद कर दी गई थी और वाद लंबित नहीं माना जाएगा। बाद का विवरण अनावश्यक होगा यदि आदेश वाद के अंतिम निराकरण में से एक था। यह आदेश वाद का अंतिम निराकरण नहीं था। इसने केवल कार्यवाहियों को बंद कर दिया था। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। यह सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 8 और आदेश 17 नियम 3 के वाद का अंतिम निर्णय नहीं है।

21. वर्तमान प्रकरण में, पहले के वाद, व्यवहार वाद सं. 2A/2013 का खारिज किया जाना गुण-दोष के आधार पर नहीं था, परन्तु वादी की गैर-उपस्थिति के कारण था। उक्त



आदेश स्वामित्व, अधिकार या निषेधाज्ञा के किसी भी निर्णय को अभिलेख नहीं करता है, न ही कोई विवाचक तैयार किया गया था या साक्ष्य का नेतृत्व किया गया था। निर्णय की अनुपस्थिति, इस तथ्य के साथ कि वर्तमान वाद प्रतिवादियों द्वारा हस्तक्षेप और नए उल्लंघनों के कथित बाद के कृत्यों से उद्भूत होता है, स्पष्ट रूप से इसे पहले की कार्यवाही से अलग करता है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने सही निष्कर्षनिकाला कि आदेश IX नियम 9 के तहत वर्जन को अधिकारों के अंतिम निर्धारण के अभाव में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

22. इस बात पर जोर देना उचित है कि संहिता स्वयं आदेश IX के नियम 2 या 3 के तहत आने वाली बर्खास्तगी और नियम 8 के तहत आने वाली बर्खास्तगी मध्य स्पष्ट विभेद करती है। जबकि नियम 4 एक वादी को अनुमति देता है, जिसका वाद नियम 2 या 3 के तहत खारिज कर दिया गया है (समन्स की तामीली न होने या प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने में विफलता के लिए), या तो बहाली के लिए आवेदन करने या एक नया वाद शुरू करने के लिए, नियम 9 स्पष्ट रूप से एक नए वाद को प्रतिबंधित करता है जब प्रतिवादी के पेश होने के बाद नियम 8 के तहत पहले की बर्खास्तगी होती है।

23. **अमरुद्दीन अंसारी** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कि आदेश IX की योजना बर्खास्तगी के स्तर और कारण के आधार पर अलग-अलग परिणामों पर विचार करती है, इस विभेद पर ध्यान आकृष्ट किया है; अतः नियम 9 के तहत वर्जन को प्रत्येक प्रक्रियात्मक चूक के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

24. वर्तमान मामले में, इस बारे में अस्पष्टता मौजूद है कि क्या व्यवहार वाद सं. 2A/2013 की बर्खास्तगी वास्तव में नियम 8 के तहत थी या क्या यह केवल नियम 2 या 3 के तहत गैर-उपस्थिति के लिए खात्मे का एक यांत्रिक आदेश था। इस तरह के निर्धारण के लिए बर्खास्तगी की परिस्थितियों की तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता होती



है, क्या प्रतिवादी अभिलेख में थे, क्या कोई प्रभावी सुनवाई हुई, और क्या बर्खास्तगी स्वैच्छिक थी या व्यवहार वाद सं. 3A/2013 में पहले के समझौते के बाद पक्षों के मध्य आपसी समझ के कारण थी। बिना साक्ष्य के इन विवादकों को निर्णायक रूप से हल नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 (घ) के तहत सांविधिक वर्जन के आधार पर किसी वादपत्र को अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए जब वादपत्र के सामने वर्जन स्पष्ट हो और न कि जहां यह विवादित तथ्यों पर निर्भर करता है या बाहरी साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

25. (2005) 7 एस. सी. सी. 510 में प्रतिवेदित **पोपट और कोटेचा संपत्ति बनाम भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, केवल वादपत्र में किए गए कथनों पर विचार किया जाना चाहिए; बचाव या अन्य बाहरी सामग्री को दावे को विफल करने के लिए लाया नहीं जा सकता है।"

"19. वादपत्र के विभिन्न परिच्छेदों की भाषा का कोई विभाजन, विच्छेदन, पृथक्करण और व्युत्क्रमण नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कोई मार्ग अपनाया जाता है तो यह व्याख्या के उस मूल सिद्धांत के विपरीत होगा, जिसके अनुसार किसी भी अभिवचन के सही अर्थ को समझने के लिए उसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। किसी एक वाक्य या अंश को अलग करके, उसे उसके संदर्भ से काटकर अलग से पढ़ना स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि केवल उसके स्वरूप पर नहीं, बल्कि उसके मूल तत्व पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए, फिर भी अभिवचन की व्याख्या ठीक वैसे ही की जानी



चाहिए जैसा वह लिखा है—बिना किसी शब्द को जोड़े या घटाए, अथवा उसके स्पष्ट व्याकरणिक अर्थ में कोई परिवर्तन किए बिना। संबंधित पक्ष का आशय मुख्य रूप से उसके अभिवचनों के समग्र भाव और शब्दों से ही समझा जाना चाहिए। साथ ही, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि न्याय को विफल करने के लिए, अत्यंत सूक्ष्म तकनीकी बारीकियों पर आधारित कोई भी अति-पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

XXX

XXX

XXX

22. [परिच्छेद 22 को आधिकारिक शुद्धिपत्र सं. F.3/Ed.B.J./92/2005 दिनांक 22-9-2005 के माध्यम से संशोधित किया गया है।] "महत्वपूर्ण तथ्यों" और "विवरणों" के बीच एक अंतर होता है। "महत्वपूर्ण तथ्य" शब्द यह दर्शाते हैं कि वे तथ्य किसी वाद-हेतुक को पूर्ण रूप से निर्मित करने के लिए आवश्यक होते हैं, और यदि वे तथ्य न हों तो कथन या वाद-पत्र दोषपूर्ण हो जाता है। "महत्वपूर्ण तथ्यों" और "विवरणों" के बीच किया गया यह अंतर स्कॉट, एल.जे. द्वारा ब्रूस बनाम ओधम्स प्रेस लिमिटेड [(1963) 1 KB 697: (1936) 1 All ER 287 (CA)] मामले में स्पष्ट किया गया था।

26. इस सिद्धांत को **कमला बनाम के. टी. ईश्वर सा** के प्रकरण में दोहराया गया है, जो (2008) 12 एस. सी. सी. 661 में रिपोर्ट किया गया है, जहां यह देखा गया था कि जब विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न उद्भूत होते हैं, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत वादपत्र की अस्वीकृति अस्वीकार्य है।



“21. संहिता के आदेश 7 नियम 11 (घ) का प्रयोग सीमित हैं। यह दर्शाया जाना चाहिए कि वाद किसी विधि के तहत वर्जित है। इस तरह का निष्कर्ष वादपत्र में किए गए अभिकथनों से निकाला जाना चाहिए। अलग-अलग आदेश 7 नियम 11 के खंड, हमारे मत में, मिश्रित नहीं किए जाने चाहिए। जबकि किसी प्रकरण में, वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन उसके विभिन्न उपखंडों में निर्दिष्ट एक से अधिक आधारों पर प्रस्तुत की जा सकती है, उस प्रभाव का एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँचना आवश्यक है। संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के खंड (घ) को लागू करने हेतु जो सुसंगत होगा वह वादपत्र में किए गए कथन हैं। इस उद्देश्य के लिए जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है। न्यायालय की अधिकारिता की अनुपस्थिति का आह्वान विभिन्न चरणों में और संहिता के विभिन्न उपबंधों के तहत किया जा सकता है। आदेश 7 संहिता का नियम 11 एक है, आदेश 14 नियम 2 दूसरा है।

22. संहिता के आदेश 7 नियम 11 (घ) को लागू करने के उद्देश्य से, साक्ष्य की किसी भी मात्रा की जांच नहीं की जा सकती है। मामले के गुण पर विवाद्यक जो उद्भूत हो सकते हैं, उस स्तर पर न्यायालय की सीमा में नहीं होंगे। सभी विवाद्यक उक्त उपबंध के तहत किसी आदेश का विषय-वस्तु नहीं होगा।

23. प्राइजन्याय (रेस जुडिकाटा) के सिद्धांत, जब लागू किया जाए, संहिता की धारा 12 के आलोक में दूसरे वाद को वर्जित कर देगा। विधि और तथ्यों से जुड़ा ऐसा मिश्रित प्रश्न, जिसके लिए न केवल



वाद-पत्र की जांच की आवश्यकता हो, बल्कि अन्य साक्ष्यों और पिछले वाद में पारित आदेश की जांच भी जरूरी हो, उसे या तो प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में उठाया जा सकता है, या फिर अंतिम सुनवाई के दौरान; परंतु, उक्त प्रश्न का निर्धारण केवल अंतिम सुनवाई के चरण पर ही किया जा सकता है, और उससे पहले के किसी भी चरण पर इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता।"

27. इसी तर्क को लागू करते हुए, यह न्यायालय ने यह पाया कि विचारण न्यायालय ने आवेदकों द्वारा उठाए गए विवाद्यक को तथ्य और विधि के मिश्रित प्रश्न के रूप में माना और वादपत्र को संक्षेप में अस्वीकार करने से इनकार करता है। यह प्रश्न कि क्या वर्तमान वाद एक समान कारण पर आधारित है और क्या पहले की बर्खास्तगी नियम 9 के अपवर्जन को आकर्षित करती है, का उत्तर विचारण में अभिवचनों और साक्ष्य के परीक्षण के परीक्षण के बाद ही दिया जा सकता है। अतः आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है जो पुनरीक्षण में हस्तक्षेप की गारंटी देती है। विचारण न्यायालय ने सही रिति से, मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है ताकि प्रारंभिक स्तर में दबाए जाने के बजाय साक्ष्य पर पूर्ण विचार करने पर पक्षों के मूल अधिकारों का निर्धारण किया जा सके।

28. तदानुसार, इस सिविल पुनरीक्षण को खारिज कर दिया जाता है।

सही/-

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश



निर्णय सुरक्षित रखे जाने की तिथि	निर्णय सुनाए जाने की तिथि	निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि	
		प्रवर्तनीय	सम्पूर्ण
10.09.2025	19.11.2025	-	19.11.2025

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

